

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या- 44/1971

विजय सिंह हो (बोयपाई) एवं अन्य।

वनाम

परगना हो एवं अन्य।

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारीख

आदेश की क्रम संख्या और तारीख


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश

यह वाद दिनांक 13.08.1971 को 1. विजय सिंह हो (बोयपाई), 2. हरि चरण हो, 3. परगना हो, तीनों का पिता- स्व० दुम्बी हो एवं 4. जमादार हो, पिता- प्रधान हो, सभी का ग्राम- बरकेला, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule "A" में वर्णित भूमि के कार्यान्वयन हेतु प्रतिवादी संख्या- 1. परगना हो, 2. मानकी हो, 3. विजय सिंह हो, तीनों के पिता- दुम्बी हो, ग्राम-पो०- बरकेला, थाना- थाना- मुफ्फसिल चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध यह वाद दायर किया है। दिनांक- 02.03.2022 को सुनवाई के क्रम में दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा इस वाद को खारीज करने हेतु अनुरोध किया गया, सुना।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


05.03.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा